



मुख्यालय
Headquarters'
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फ.स.-वी-12/1/2023-प्र.से.ए.

दिनांक .03.2024

परिपत्र

विषय:-कर्मचारी राज्य बीमा 1950,केंद्रीय) नियम)नियम 29 के उप-नियम (2) के प्रावधान के अनुसार महानिदेशक को शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन संबंधी ।

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग II-खण्ड-3-उप खण्ड (i) में दिनांक 26.02.2024 को प्रकाशित अधिसूचना स. सा.का.नि.134(अ) दिनांक 26.02.2024 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है । (गजट.आई.डी.स-26022024-252379)

कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 29 के उप-नियम (2) के प्रावधान के अनुसार महानिदेशक की शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन उपरांत "पाँच करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

यह सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु है ।

संलग्नक:- यथोपरि

हस्ता/-

उप निदेशक (प्र.से.ए.)

सेवा में,

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त / मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव ।
2. सभी जोनल बीमा आयुक्त / जोनल चिकित्सा आयुक्त ।
3. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय अकादमी, द्वारका, दिल्ली ।
4. सभी बीमा आयुक्त, मुख्यालय के प्रधान निजी सचिव ।
5. सभी अपर आयुक्त / क्षेत्रीय निदेशक/उप निदेशक (I/c), क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क. रा. बी. निगम अस्पताल / डीन क. रा. बी. निगम चिकित्सा शिक्षा संस्थान ।
7. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली / नोएडा ।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को परिपत्र क. रा. बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
9. गार्ड फाइल ।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters'
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email : dir-gen@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

F.No. V-12/1/2023-MSU

Date:- .03.2024

Circular

Subject:- Revision of Delegation of power to the Director General as per the provision of Rule 29 (2) ESI (Central) Rules,1950-reg.

Enclosed herewith is a copy of the notification No. G.S.R. 134(E) dated 26.02.2024 published in Gazette of India (Extraordinary), Part II- Section 3- Sub-section (i) on 26.02.2024 by Ministry of Labour & Employment for information (Gazette ID No.E-26022024-252379).

According to the provision of sub-rule (2) of rule 29 of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, after amendment in the delegation of powers to the Director General, in place of the words "five crore rupees", the words "twenty-five crore rupees" will be substituted.

This is for information and necessary action.

Encl.:- As above

Deputy Director (MSU)

To,

1. PPS to Director General / Finance Commissioner / Chief Vigilance Officer
2. All Zonal Insurance Commissioner / Zonal Medical Commissioner
3. Insurance Commissioner, NTA, Dwarka, Delhi
4. PPS to All Insurance Commissioner, Hqrs.
5. All Additional Commissioner / Regional Director/DD(I/c), RO/SRO
6. All Medical Superintendent, ESIC Hospital/ Dean, Medical Educational Institutes
7. Directorate (Medical) Delhi / Noida
8. Website Content Manager for uploading the Circular on the website of ESIC.
9. Guard file